न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 07/2024
जीसीएमएस सं. – 2024/18

–:: वादीनी ::–
सुखीदेवी पत्नि चौथाराम जाति साद
निवासी ग्राम खवासपुरा तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–
भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर
तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
दर्ज तारीख :– 10.01.2024

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री मन्सूर अली छीपा वादी की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक : 14.08.2024

वकील मय वादीनी ने एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम खवासपुरा पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादिनी की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 112 क्षेत्रफल 1.2863 हेक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 327 व पूरानां 286 पर इन्द्राजशुदा है, इसी प्रकार खसरा नबंर 107 क्षेत्रफल 1.9335 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि स्थित है जो खाता संख्या नया 178 व पूराना 279 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम महादेवनगर पटवार क्षेत्र खवासपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादिनी की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1053 क्षेत्रफल 0.3641 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 72 व पूराना 310 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम सुखी अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादिनी का सही व वास्तविक नाम सुखीदेवी है। वादिनी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों तथा ग्राम खवासपुरा व महादेवनगर व माडपुरिया मे अन्य कृषि भूमियों के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का सही नाम सुखीदेवी अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम सुखी अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें की वादीनी अधिकारी है। वादिनी द्वारा दिनांक 08.01.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादिनी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादिनी के पास अन्य कोई विकल्प नही है इसलिए वादिनी का उक्त वाद वास्तें सही नाम सुखी के स्थान पर सुखीदेवी किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इस्तदुआ वादीनी निम्न प्रकार से है कि वादीनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावें कि ग्राम खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीनी की सहखातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.2863 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ व खसरा नम्बर 107 रकबा 1.9335 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि तथा ग्राम महादेवनगर पटवार क्षैत्र खवासपुरा तहसील

14/8
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा मे वादीनी की सहखातेदारीसुदा कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.3641 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम सुखी के स्थान पर सुखीदेवी घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीनी के पक्ष में अता फरमावें।

हमने वादीनी के वाद पत्र को दिनांक 10.01.2024 को दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार पीपाड़ शहर का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ । प्रतिवादी तहसीलदार ने अपनी मौखिक रूप से अनापति जाहिर की है कि राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा नम्बर 112, 107 एवं ग्राम महादेव नगर के खसरा नम्बर 1053 में दर्ज नाम सुखी के स्थान सुखीदेवी किया जाता है तो कोई आपति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए राजस्व ग्राम खवासपुरा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 112, 107, ग्राम महादेव नगर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053, जिसके राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम सुखी के स्थान पर सुखीदेवी किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार ने अपनी बहस में राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा नम्बर 112, 107 एवं ग्राम महादेव नगर के खसरा नम्बर 1053 में दर्ज नाम सुखी के स्थान सुखीदेवी किया जाता है तो कोई आपति नही हैं। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर, वादीनी के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम खवासपुरा के खसरा नम्बर 112, 107, व ग्राम महादेव नगर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1053, कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम सुखी के स्थान पर सुखीदेवी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(हूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(हूदाराम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर